



युनिवर्सिटी ऑफ नैब्रास्का-लिनकन (यू.एन.एल.) की एक टीम ने हाल ही में स्पॉटेड हायना (चित्तीदार हायना) की "वूफिंग" (हू-हू की आवाज) का विश्लेषण किया। टीम ने साउथ वेस्टर्न कीनिया के मसाईमारा घास के मैदानों (सवाना) से प्राप्त फील्ड आर्काइवशंस एवं फील्ड से रिकॉर्ड किए गए ऑडियो क्लिप पर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम लागू करके यह विश्लेषण किया। इससे पता चला कि, हरेक हायना की आवाज में एक खासियत होती है जिससे एक हायना को दूसरे से अलग किया जा सकता है। स्पॉटेड हायना के झुंड पदानुक्रम पर बनते हैं जो कि सामाजिक "रैंक" पर निर्भर करती हैं। लेकिन झुंड में कई परिवार होते हैं जो नियमित तौर पर रोज एक साथ आते हैं और सवाना में बिखर जाते हैं, इसलिए विशिष्ट जानवर को पहचानने की क्षमता विशेषरूप से महत्वपूर्ण होती है। शोध लेखक कैनेमन ने कहा कि, हायना अपने झुंड के हरेक सदस्य के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करते। इसलिए अगर वे किसी के सामने जाना या किसी की मदद करना चाहते हैं तो उन्हें यह भी जानना होता है कि वो किसकी मदद कर रहे हैं। अफ्रीकी सवाना जंगलों में सैकड़ों हायना की आवाजें रिकॉर्ड करके तथा उनका विश्लेषण करके डॉ. लेमन व उनके सहयोगियों ने हायना की आवाज में तीन प्रमुख प्रवृत्तियों की पहचान की, जिससे हायना को एक दूसरे को पहचानने में मदद मिलती है, जैसे, आवाज की आवृत्ति, उच्चतम आवृत्ति, और आवाज के बीच में औसत आवृत्ति जो ज्यादा देर तक बनी रहती है। उनके विश्लेषण के अनुसार इन लक्षणों में जितनी अधिक विविधता होती है, उतनी ज्यादा संभावना होती है कि हायना आवाज के स्रोतों में अंतर कर सके और विशिष्ट आवाजों को पहचान सके। तथापि, चूंकि ध्वनि की बारीकियाँ, कई कारणों से ट्रांसमिशन के समय खो जाती हैं, जैसे, जंगल में हवा बरिश या अन्य जानवरों की आवाज का शोर आदि, इसलिए "वूफिंग" को दोहराना आवश्यक हो जाता है। डॉ. लेमन ने कहा कि, इन जानवरों में यह समझ है कि संदेश पहुंचाने के लिए बार-बार बोलना जरूरी है। हर बार आवाज सुनने पर थोड़ी ज्यादा जानकारी मिल सकती है। यह शोध जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसायटी में छपा है।

## कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी के आदेश से राजनीतिक दलों में काफी हड़कम्प

आदेश के अनुसार, जो व्यक्ति साल भर से ज्यादा समय से वहां रह रहे हैं, उन्हें आवास का प्रमाण पत्र देकर मतदान का अधिकार दिया जायेगा

**-श्रीनंद झा-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 12 अक्टूबर भाजपा सरकार ने जम्मू के राजस्व अधिकारियों को एक आधिकारिक आदेश के जरिए दिशा निर्देश देकर परेशानी खड़ी कर दी है। इस आदेश में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे क्षेत्र में एक वर्ष से अधिक समय तक रह रहे लोगों को आवास प्रमाण पत्र जारी करें और उन्हें वोटर्स के रूप में पंजीकृत करें।

गत अगस्त माह में जम्मू एवं कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरिदेश कुमार ने यह बयान जारी कर हंगामा मचा दिया था कि इस केंद्र शासित प्रदेश को प्रवासी मजदूरों और सुरक्षा बलों के जवानों जैसे वर्गों सहित 25 लाख वोटर्स और मिल सकेंगे। जम्मू तथा कश्मीर में अगले वर्ष की शुरुआत में संभावित विधानसभा चुनावों से पूर्व चुनाव आयोग द्वारा उठाए जाने वाले कदमों के राजनीतिक मायने

■ इस आदेश की अनुपालना से कश्मीर में लगभग 25 लाख वोटर जुड़ जायेंगे।

■ जम्मू में, विशेषकर भाजपा के परम्परागत वोटर, डोगरा, सिख व कश्मीरी हिन्दुओं को और मजबूती मिलेगी, क्योंकि नये मतदाता, जो अधिकतर "माइग्रेंट लेबर" व सेना आदि के सुरक्षाकर्मी हैं, प्रायः भाजपा की विचार धारा के प्रति सहानुभूति रखते हैं।

■ कश्मीर के पुराने स्थानीय नेता फारूख अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती व गुलाम नबी आजाद ने इस आदेश की निंदा की है और मतदान मतपत्रों को राजनीतिक साजिश बताया।

मतदाता पंजीकरण के नए मार्गदर्शक बिंदु जम्मू के लोगो, डोगरा, सिख या कश्मीरी हिन्दु, जो भाजपा के पारम्परिक समर्थक हैं, के राजनीतिक को प्रभावित कर सकते हैं। उम्मीद है कि चुनाव आयोग की

यह भी उम्मीद है कि इस अधिसूचना से गुजरता और हिमाचल के आगामी चुनावों और उनके बाद अगले वर्ष कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सहित अन्य राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा को चुनावी बढ़त मिल सकती है।

क्षेत्र की जनसांख्यिकी को बदलने के कदमों पर चिंता प्रकट करते हुए नेशनल काँग्रेस के अध्यक्ष डॉ. फारूख अब्दुल्ला ने जम्मू व कश्मीर के लोगों का आह्वान किया कि वे मतपेटी में होने वाले षड्यंत्रों का विफल करें। पी.डी.पी. की नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इस अधिसूचना को क्षेत्र में केन्द्र के "औपनिवेशिक आवासन प्रोजेक्ट" की दिशा में पहला कदम करार दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने नवीनतम अधिसूचना के जरिए जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों के बीच क्षेत्रीय और धार्मिक विभाजन (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## धतूरे की पांचवी प्रजाति

उदयपुर, 12 अक्टूबर (कांस)। पर्यावरण विशेषज्ञों ने राजस्थान में धतूरे की एक नई प्रजाति खोज निकाली है। इस प्रजाति को ढूँढने का श्रेय उदयपुर के सेवानिवृत्त वन अधिकारी एवं पर्यावरणविद डॉ. सतीश शर्मा, फाउण्डेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्वियरिटी उदयपुर के जीव विज्ञानी डॉ. अनिल सारस्वत तथा जालौर वन मंडल के सहायक वन संरक्षक अनिल

■ राजस्थान से हाल ही में धतूरे की पांचवी प्रजाति, "धतूरा डिस्कलर" का पता चला है।

कुमार गुप्ता को जाता है। वनस्पति विशेषज्ञों के अनुसार संसार में धतूरे की 14 प्रजातियाँ ज्ञात हैं तथा अब से पहले राजस्थान में केवल चार प्रजातियाँ ही ज्ञात थीं। अब राजस्थान में धतूरे की पाँचवी प्रजाति "धतूरा डिस्कलर" की खोज हुई है। डॉ. सतीश शर्मा ने बताया कि, (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

**-यादवेन्द्र शर्मा-**  
जयपुर, 12 अक्टूबर राजस्थान हाईकोर्ट में रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट (आर.ई.सी.) मैकेनिज्म के जरिये सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में निवेश कर बिजली उत्पादन करने वाले केंद्रीय सरकार की इकाईयों तथा निजी उद्योगपतियों को राज्य सरकार तथा डिस्कॉम से बिजली उत्पादन के लिये मुआवजा नहीं मिलने के संबंध में 108 याचिकाओं पर अदालत में आज सुनवाई हुई।

बहस के दौरान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आई.ओ.सी.) की ओर से पैरवी के लिये सोनियर अधिवक्ता आर.एन. माथुर अदालत में पेश हुए।

■ हाई कोर्ट में आर.ई.सी. मैकेनिज्म के तहत प्रदेश में सौर व पवन ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करने आई कंपनियों की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन. माथुर का कहना है कि राज्य सरकार ने अपनी कार्यवाही को सही ठहराने के लिए "पूल रेट" का एक अजीबोगरीब फॉर्मूला निकाला।

■ आर.एन. माथुर का कहना है कि राज्य सरकार ने अपनी "पूल रेट" में 2010 की स्कीम के तहत बने और ऊर्जा सौर एवं पवन ऊर्जा प्लान्ट से बनी बिजली की दरों की 2020 में बनाये जा रहे सौर एवं पवन ऊर्जा प्लान्ट से बनी बिजली से तुलना की है जो कि गैर वाजिब है।

■ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदूषण फैला रहे थर्मल पावर प्लान्ट से बनी बहुत महंगी बिजली खरीदने के लिए तो तैयार है, परन्तु सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा प्लान्ट से बनी ग्रीन एनर्जी खरीदने के लिए तैयार नहीं है।

उन्होंने कहा कि 2010 में अपनाए गए आर.ई.सी. मैकेनिज्म के तहत प्रदेश में सौर व पवन ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करने आई कंपनियों की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन. माथुर का कहना है कि राज्य सरकार ने अपनी कार्यवाही को सही ठहराने के लिए "पूल रेट" का एक अजीबोगरीब फॉर्मूला निकाला। आर.एन. माथुर का कहना है कि राज्य सरकार ने अपनी "पूल रेट" में 2010 की स्कीम के तहत बने और ऊर्जा सौर एवं पवन ऊर्जा प्लान्ट से बनी बिजली की दरों की 2020 में बनाये जा रहे सौर एवं पवन ऊर्जा प्लान्ट से बनी बिजली से तुलना की है जो कि गैर वाजिब है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदूषण फैला रहे थर्मल पावर प्लान्ट से बनी बहुत महंगी बिजली खरीदने के लिए तो तैयार है, परन्तु सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा प्लान्ट से बनी ग्रीन एनर्जी खरीदने के लिए तैयार नहीं है।

आश्वासन भी दिया था। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में राज्य सरकार के डिस्कॉम ने सभी 108 याचिकाकर्ताओं से परचेज पावर एग्रीमेंट (पी.पी.ए.) यानी सरकारी ग्रिड में बिजली डालने हेतु मुआवजा देने के लिये एग्रीमेंट हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि राज्य सरकार की 2012 की रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी के तहत सभी आर.ई.सी. स्कीम के तहत निर्मित प्रोजेक्टों से बिजली खरीदने का आश्वासन दिया था। डिस्कॉम ने यह कहते हुए कि पी.पी.ए. पर हस्ताक्षर नहीं किये कि ओपन टेंडर में उन्हें सौर ऊर्जा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आश्वासन भी दिया था। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में राज्य सरकार के डिस्कॉम ने सभी 108 याचिकाकर्ताओं से परचेज पावर एग्रीमेंट (पी.पी.ए.) यानी सरकारी ग्रिड में बिजली डालने हेतु मुआवजा देने के लिये एग्रीमेंट हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि राज्य सरकार की 2012 की रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी के तहत सभी आर.ई.सी. स्कीम के तहत निर्मित प्रोजेक्टों से बिजली खरीदने का आश्वासन दिया था। डिस्कॉम ने यह कहते हुए कि पी.पी.ए. पर हस्ताक्षर नहीं किये कि ओपन टेंडर में उन्हें सौर ऊर्जा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## रेलवे कर्मचारियों को बोनस

**-जाल खंबाता-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 12 अक्टूबर रेलवे के करीब 11.27 लाख गैर राजपत्रित कर्मचारियों को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रत्येक वर्ष की भांति दशहरा/पूजा छुट्टियों से पूर्व 78 दिनों

■ रेलवे के 11.27 लाख नॉन गेटेड स्टाफ को दिवाली से पूर्व 78 दिन का बोनस देने की घोषणा की गई है, जो अधिकतम 17,951 रु. होगा।

का प्रोडक्शन लिंकड बोनस दिया गया है। यह अधिकतम 17 हजार 951 रूपए होगा। केन्द्रीय कैबिनेट ने बुधवार को इसे पूर्व प्रभाव से मंजूरी प्रदान की। बोनस प्राप्त करने वालों में रेलवे के ट्रैक मेन्टेनेंस, ड्राइवर, गार्ड, स्टेशन मास्टर, सुपरवायजर, टैक्नीशियन्स, टैक्नीशियन हैल्पर, कंट्रोलर, पॉइन्ट्स- (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## शांति धारीवाल, महेश जोशी व धर्मेन्द्र राठौड़ दिल्ली क्यों गये?

यह तो पहले ही मालूम था कि, कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव का नतीजा घोषित होने तक कोई भी महत्वपूर्ण कार्यवाही नहीं होगी, तो, दिल्ली जाने का क्या मकसद था?

**-नेणु मिश्र-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 12 अक्टूबर यह कहानी है कि मास्टरमांड अशोक गहलोट ने बिना किसी बात के किस प्रकार से एक मुद्दा बनाकर पूरे राजस्थान में यह संकेत दिया है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और उनके निकटस्थ साथियों के खिलाफ चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाही का मुद्दा सुलझ गया है।

कुछ बिकाऊ मीडिया में यह खबर आई कि शांति धारीवाल, महेश जोशी और धर्मेन्द्र राठौड़ जिन्हें नोटिस दिए गए थे, को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए दिल्ली बुलाया गया है। अब प्रश्न यह है कि इन लोगों को दिल्ली किसने बुलाया? सोनिया गांधी शिमला में हैं और प्रियंका गांधी भी वहीं हैं। राहुल गांधी

■ अनुशासन समिति के अध्यक्ष ए.के. एंटनी केरल में हैं। सोनिया गांधी शिमला गयी हुई हैं तथा प्रियंका गांधी उनके साथ हैं और राहुल गांधी भारत जोड़े यात्रा के अंतर्गत कर्नाटक में हैं।

■ अतः इन तीनों नेताओं में से किसको स्पष्टीकरण सुनाना चाहते थे, राजस्थान के तीनों महारथी।

■ और, अब ये तीनों नेता गुरुवार को जयपुर लौट जायेंगे। अतः दिल्ली यात्रा से इन तीनों ने क्या अर्जित किया?

■ क्या यात्रा का मकसद था, पार्टी के कार्यकर्ताओं को राजस्थान में यह संदेश देना कि, इन तीनों के खिलाफ चल रहा अनुशासनहीनता का मामला अब शांति से सलट गया है।

एंटनी केरल में हैं। इन लोगों के मामले की सुनवाई करने वाला फिलहाल कोई कार्यवाही कमेटी के चेयरमैन ए.के.

भी दिल्ली में नहीं है। अतः ये लोग किससे मिलने आए थे और उन्हें क्या हासिल हुआ।

देखने से ही लगता है कि यह एक प्रकार की कहानी गढ़ने के अलावा कुछ नहीं है कि सब कुछ ठीक चल रहा है और इन लोगों को कुछ नहीं होगा। यही वह कथानक है जिससे अशोक गहलोट को अपने विधायकों को लामबंद रखने के लिए गढ़ना है। जो तीनों नेता आज दिल्ली में थे, वे कल जयपुर लौट जाएंगे।

जब यह निर्णय किया जा चुका है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव और उसका परिणाम घोषित हो जाने के कांग्रेस में कुछ नहीं होगा, तो फिर इन तीनों जनों ने दिल्ली का दौरा क्यों किया? इस संदर्भ में आगे के तमाम प्रश्नों का रूख अशोक गहलोट की ओर कर देना चाहिए।

## 'नई बोटल में पुरानी शराब'

**-अंजन राय-**  
**-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-**  
नई दिल्ली, 12 अक्टूबर गूढ़ और आकर्षक बौद्धिक कवायद को एक सामान्य ज्ञान में बदलकर अर्थशास्त्रियों ने अपने शास्त्र को प्रतिष्ठित किया है। एरिस्टोटल (अरस्तू) के हिसाब से सामान्य ग्रहणी सबसे अच्छी अर्थशास्त्री है। यूनानियों के लिए अर्थशास्त्र का मतलब था अपने घर के आय-व्यय का प्रबंधन करना। इस वर्ष इकोनॉमिक्स का

■ इस बार अर्थशास्त्र का नोबल जिन तीन अर्थशास्त्रियों को मिला है, उन्होंने अर्थशास्त्र के पुराने सिद्धांतों को नए रूप में प्रस्तुत किया है और बैकिंग व्यवस्था का परीक्षण भी किया है।

नोबेल पुरस्कार तीन हाई प्रोफाइल अर्थशास्त्रियों के कार्यों को प्रभावी रूप से मान्यता देता है। इन अर्थशास्त्रियों ने यह दर्शाया है कि किसी अर्थव्यवस्था के लिए बैंक महत्वपूर्ण हैं और वे ऐसी कुछ जरूरी सेवाएं प्रदान करते हैं जो किसी अर्थव्यवस्था की लय का निर्धारण कर सकती है। यह किसी अर्थव्यवस्था के सामान्य कामकाज और उसे "पॉज" मोड़ पर डालने के बीच एक विकल्प है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## केरल में दो महिलाओं की बलि दी गई, एक शव के 56 टुकड़े किये

मुख्य आरोपी, शफी नाम के शख्स के बहकावे में आकर एक दंपति सहित तीन आरोपियों ने मिलकर इस क्रूर कृत्य को अंजाम दिया

तिरुवनंतपुरम, 12 अक्टूबर केरल में काले जादू की वजह से मानव बलि देने का मामला सामने आने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने बुधवार को इस मामले में कई सनसनीखेज खुलासे किए। पुलिस ने बताया कि एक शव के कुल 56 टुकड़े किए गए थे। कोच्चि के कमिश्नर सीएच नागराजू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुख्य आरोपी शफी का आपराधिक अतीत रहा है और उसने दंपति-भगवल सिंह और उसकी पत्नी लैला को फंसाया, जिन्होंने पैसों लालच में आकर

कोच्चि के कमिश्नर सी.एच. नागराजू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि, मुख्य आरोपी शफी का आपराधिक अतीत रहा है और उसने दंपति-भगवल सिंह और उसकी पत्नी लैला को फंसाया, जिन्होंने पैसों लालच में आकर

ये बलि दी। चोट लगी थी। साथ ही, शफी ने पीड़ितों को प्रताड़ित करने में आनंद भी लिया। आरोपियों में से एक लैला ने कबूल किया है कि उन्होंने (उन तीनों ने) पीड़ितों के शरीर के एक हिस्से को पकाकर भी खाया। तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर दो सप्ताह की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

यह सनसनीखेज घटना मंगलवार को सामने आई जब पुलिस गुमशुदगी की शिकायत की जांच कर रही थी। सुरागों की वजह से, पुलिस ने पाया कि तांत्रिक मोहम्मद शफी ने मानव बलि देने के लिए एक कपल का ब्रेनवॉश किया और उन्हें आर्थिक लाभ मिलने का वादा किया। यह उनकी दूसरी शिकार थी, जबकि

पहली शिकार एक अन्य महिला थी जिसे जून में मार दिया गया था। पुलिस ने बताया कि, मुख्य आरोपी शफी एक कट्टर अपराधी है और विभिन्न थातों में आठ मामलों का सामना कर रहा है। उसके अपराधों की सूची में बलात्कार, अतिचार, शराब के नशे में झगड़ा और धोखाधड़ी शामिल है। पुलिस ने कहा कि उसने पुलिस को झोसा देने के लिए हर साल अपना घर बदला और ज्यादातर शिविरों में रहा। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए उसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। दंपति ने उसके साथ संपर्क किया और अनुष्ठान के लिए 1.50 लाख रुपये का भुगतान किया जिसमें मानव बलि (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

## बड़े थर्मल पावर प्लान्ट ( अडानी आदि ) को पनपाने के लिए क्यों कटिबद्ध है राज्य सरकार?

यहां तक कि 2010 में सौर व पवन ऊर्जा से बनी बिजली की खरीद के लिए किया गया अनुबंधन भी एक तरफा कार्यवाही से रद्द कर रही की टोकरी में डाल दिया

**-यादवेन्द्र शर्मा-**  
जयपुर, 12 अक्टूबर राजस्थान हाईकोर्ट में रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट (आर.ई.सी.) मैकेनिज्म के जरिये सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा में निवेश कर बिजली उत्पादन करने वाले केंद्रीय सरकार की इकाईयों तथा निजी उद्योगपतियों को राज्य सरकार तथा डिस्कॉम से बिजली उत्पादन के लिये मुआवजा नहीं मिलने के संबंध में 108 याचिकाओं पर अदालत में आज सुनवाई हुई।

बहस के दौरान इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आई.ओ.सी.) की ओर से पैरवी के लिये सोनियर अधिवक्ता आर.एन. माथुर अदालत में पेश हुए।

■ हाई कोर्ट में आर.ई.सी. मैकेनिज्म के तहत प्रदेश में सौर व पवन ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश करने आई कंपनियों की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एन. माथुर का कहना है कि राज्य सरकार ने अपनी कार्यवाही को सही ठहराने के लिए "पूल रेट" का एक अजीबोगरीब फॉर्मूला निकाला।

■ आर.एन. माथुर का कहना है कि राज्य सरकार ने अपनी "पूल रेट" में 2010 की स्कीम के तहत बने और ऊर्जा सौर एवं पवन ऊर्जा प्लान्ट से बनी बिजली की दरों की 2020 में बनाये जा रहे सौर एवं पवन ऊर्जा प्लान्ट से बनी बिजली से तुलना की है जो कि गैर वाजिब है।

■ उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदूषण फैला रहे थर्मल पावर प्लान्ट से बनी बहुत महंगी बिजली खरीदने के लिए तो तैयार है, परन्तु सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा प्लान्ट से बनी ग्रीन एनर्जी खरीदने के लिए तैयार नहीं है।

आश्वासन भी दिया था। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में राज्य सरकार के डिस्कॉम ने सभी 108 याचिकाकर्ताओं से परचेज पावर एग्रीमेंट (पी.पी.ए.) यानी सरकारी ग्रिड में बिजली डालने हेतु मुआवजा देने के लिये एग्रीमेंट हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि राज्य सरकार की 2012 की रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी के तहत सभी आर.ई.सी. स्कीम के तहत निर्मित प्रोजेक्टों से बिजली खरीदने का आश्वासन दिया था। डिस्कॉम ने यह कहते हुए कि पी.पी.ए. पर हस्ताक्षर नहीं किये कि ओपन टेंडर में उन्हें सौर ऊर्जा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आश्वासन भी दिया था। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में राज्य सरकार के डिस्कॉम ने सभी 108 याचिकाकर्ताओं से परचेज पावर एग्रीमेंट (पी.पी.ए.) यानी सरकारी ग्रिड में बिजली डालने हेतु मुआवजा देने के लिये एग्रीमेंट हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि राज्य सरकार की 2012 की रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी के तहत सभी आर.ई.सी. स्कीम के तहत निर्मित प्रोजेक्टों से बिजली खरीदने का आश्वासन दिया था। डिस्कॉम ने यह कहते हुए कि पी.पी.ए. पर हस्ताक्षर नहीं किये कि ओपन टेंडर में उन्हें सौर ऊर्जा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

आश्वासन भी दिया था। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 में राज्य सरकार के डिस्कॉम ने सभी 108 याचिकाकर्ताओं से परचेज पावर एग्रीमेंट (पी.पी.ए.) यानी सरकारी ग्रिड में बिजली डालने हेतु मुआवजा देने के लिये एग्रीमेंट हस्ताक्षर करने से इंकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि राज्य सरकार की 2012 की रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी के तहत सभी आर.ई.सी. स्कीम के तहत निर्मित प्रोजेक्टों से बिजली खरीदने का आश्वासन दिया था। डिस्कॉम ने यह कहते हुए कि पी.पी.ए. पर हस्ताक्षर नहीं किये कि ओपन टेंडर में उन्हें सौर ऊर्जा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)